



रुपये | ३३९८/प्र/१५

सम्भा न्यायालय राज स व न्यायालय ग्रालियर

प्रकरण कुमार ५४० /५२००९ निरानी

Mrs. Neelam Jainwal
(Advocate)
Jainwal
19.10.2015
19.10.15

नीलम जैनवल
द्वारा आज दि. १९-१०-१५ को
प्रस्तुत
कलक ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्रालियर

श्रीमती सुधा जायस्वाल पत्नी स्वर्ग भागवतप्रसाद
जायस्वाल निवासी- बाड़ी नं ६
पाण्डम नगर शहडोल डिस्ट्रीक्ट शहडोल

--- आवेदक

विरुद्ध

- 1- श्रीमती रामकलति पत्नी दुर्गा यादव
- 2- योगेश कुमार पुत्र दुर्गायादव समस्त निवासी-
गण बाड़ी नं २८ पुरानी बस्ती शहडोल
डिस्ट्रीक्ट शहडोल प०पु०।
- 3- प०पु० शा तन --- - अनावेदकगण

आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश ९ नियम ७ वास्ते प्रकरण में
रुचि न दिखाने के आधार पर उपरोक्त प्रकरण समाप्त
किये जाने के परिपेक्ष में उसे पुनः विचारण के प्रक्रम में अधिकृत
किये जाने हेतु आवेदन।

श्रीमान

आवेदिका की ओर से उपरोक्त विषयान्तर्गत आवेदन
तात्त्विक निरूपण सहित स्तंभानुसार प्रस्तुत है:-

१४ यह कि आवेदिका ने श्रीमान आयुक्त शहडोल समौन्नत
आदेश दिनांकी १९-१-२००९ के विरुद्ध पुनिरीक्षा याचिका
सम्बन्धीय मंडल के सम्भा मण्डल राजस्व अधिनियम की धारा
५० के प्रावधानान्तर्गत प्रस्तुत की गयी थी जिसमें राज्य को
प्रधार बनाने के उपरांत अभियेष उसके बदारा पत्रावली में

२२१० ३३७९. अ। १५.

अमेल

०१-१२-१५

क्षेत्रिक वी को ले रहे
कुरुक्षेत्र जायसवाल को बेस्टी
लोकेशन पर सुना गया। इनमें
के ३ पैसंच लोधिवक्ता श्री लि. एस.
गोपी उद्धृत। इनमें क १२७ घूँछ
पुराणा उभितन थी। सात उनको
कुक्कु-लगवाही गांव। जी कुछ इन
आवास को दी के समझ। उभितन
हुई बिना निरह-निरो बिल
वले गये। उनमें क ५७०००००
किमी गांव। क्षेत्रिक छाया ५२४००
हैर-केरेशन का लोकेशन पर
लोक लिया गया। घूँछ निया
पुनः सुनपाई के लिये स्थापित
की गयी है। यह रेस्टोरेंट
शामाले लिया गया गया।
दार्शक दीकोड़ी ले

३०८८

३०८८

१-१२-१५
कुमार